जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 18.09.2025

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अदद अवैध देशी तंमचा .12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री जयप्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में थाना धनघटा पुलिस द्वारा अभियुक्त आशिक अली पुत्र रहमत अली ग्राम चन्दौली माफी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को ग्राम धौरहरा इनामुल भट्टे के सामने के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0सं0 457/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध देशी तमंचा .12 बोर

02. 02 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, हे0का0 बदरे आलम व का0 हरीन्द्र यादव।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 334/2025 धारा-87/137(2)/351(3) 65(1)बीएनएस व ¾(2) पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सोनु गौड पुत्र जनार्दन प्रसाद निवासी कुचडेहरी थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर वर्तमान पता सेन्ट थामस स्कुल के पास नेदुला चौराहा थाना कोतवाली जनपद संतकबीरनगर को कठिनईया पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 12.09.2025 को थाना महुली पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 18.09.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – व0उ0नि0 श्री परवेज अहमद, का0 विजय गौतम।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 6006 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल*-** पीआरवी 6006 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बनकटिया से कालर द्वारा ट्रैक्टर से पीछे से ठोकर लग जाने से घायल 01 व्यक्ति (1.सत्यनारायण गिरी पुत्र फूलचन्द्र गिरी ग्राम ठठरिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 बृजेश यादव, म0का0 किरन यादव, हो0चा0 अयोध्या प्रताप।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 170 वाहनों से 1,74,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 18.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 170 वाहनों से 1,74,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

- ***पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में अवैध अतिक्रमण व गलत दिशा में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलाया गया अभियान***
- ***अभियान के तहत जनपद से कुल 170 वाहनों से 1,74,000 रु0 वसूला गया जुर्माना***
- ***विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस व स्कूली बच्चो द्वारा संयुक्तरुप से गलत दिशा में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को किया गया जागरुक***
- ***ई रिक्शा व आटो रिक्शा चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु दिलाई गयी शपथ***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनाँक 18.09.2025 को जनमानस को यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए अवैध अतिक्रमण कर मार्ग अवरुद्ध करने वालों व गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर मेंहदावल बाइपास व मुखलिसपुर तिराहा के आसपास ठेला लगाकर फल बेंचने वालों को हटवाया गया तथा अवरुद्ध मार्ग को आवागमन हेतु सुचारु किया गया, यातायात पुलिस द्वारा ई रिक्शा व आटो रिक्शा चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु शपथ दिलाई गयी।

अभियान के दौरान संतकबीरनगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद से 05 वाहनों से 6000 रुपए, थाना धनघटा से 06 वाहनों से 7,000 रुपए, थाना महुली से 14 वाहनों से 13,000 रु0, थाना मेंहदावल से 07 वाहनों से 7,000 रु0, थाना बखिरा से 17 वाहनों से 12,000 रु0, थाना बेलहरकला से 04 वाहनों से 4,000 रु0 व यातायात पुलिस द्वारा 117 वाहनो से 1,25,000 रुपए जुर्माना वसूला गया साथ ही वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने के साथ लोगों से अपील किया गया कि वे अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेल्मेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के अपराध में अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 50,000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 18.09.2025 को ***माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर*** *न्यायाधीश श्री मोहनलाल विश्वकर्मा * द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 50,000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

उक्त प्रकरण में दिनांक 10.10.2016 को वादी मुकदमा विकास यादव पुत्र शम्भूनाथ यादव निवासी बड़ी सरौली थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर तहरीर दिया गया कि उनके चाचा शैलेन्द्र यादव पुत्र काशीनाथ यादव जो प्रापर्टी डीलर का कार्य करते है, ओम बस सर्विस के कार्यालय पर दिनांक 10.10.2016 को बैठे थे कि शाम को 06 बजे 02 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आये और एक व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल से उतर कर उनके उपर फायर कर दिया गया जिसके बाद उन्हे अस्पताल ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हे मृत घोषित कर दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना को0 खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर निरीक्षक श्री कमला यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 1853/2016 धारा 302/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश सिंह पुत्र शिवप्रसाद सिंह निवासी टिकरिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को धारा 302/34 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त अखिलेश सिंह पुत्र शिवप्रसाद सिंह उपरोक्त को धारा 302/34) भादवि में सश्रम आजीवन कारावास व कुल 50,000 रु0 के अर्थदण्ड के दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।